न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 30/12

GCMS NO 2012/00075

1. यादराम
2. रामखिलाडी
3. मुंशी पुत्रान प्रभू
4. चन्दर उर्फ चन्द्रदत्त पुत्र किशनपाल
5. जानकी बेवा किशनपाल

सभी जातियान मीना निवासीयान सुरोठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. देशराज
2. चेतन
3. ओमप्रकाश पुत्रान गोविन्द सिह
4. गोपाली बेवा गोविन्द सिह

जातियान मीना निवासीयान सुरोठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 46/04 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.05 न्यायालय कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री शर्दी लाल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री शांति स्वरूप शर्मा

दिनांक 29.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.6.05 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी के पिता व पति द्वारा इस वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती,घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि भूमि साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम सुरोठ तहसील हिण्डौन वादी के पिता गिर्राज सिह के [illegible] री की भूमि है। वादी के पिता के फौत होने के पश्चात से उसके कानूनी वारिस तथा [illegible] भूमि साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का [illegible] । वादी तथा उसके पिता ने खसरा न0 1483 को चारो तरफ से डो[illegible] है। यह खसरा न0 रे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मे स्पष्ट साबित है। तहसील हिण्डौन मे भू प्रबंध आपरेशन पुरा होकर नवीन राजस्व रिकार्ड मिलान क्षैत्रफल ,जमाबंदी रेवेन्यू शीट मे फाईनल होकर आ गया है। जिसकी नकल प्राप्त करने पर वादी को पता चला कि भू प्रबंध विभाग ने अवैध रूप से क्षैत्राधिकार से परे साबिक राजस्व रिकार्ड मे हेरा फेरी करके साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का नवीन ख0न0 1560 रकबा 0.48 है0 है0 कायम किया है। साबिक रकबा से नवीन रकबा 7 ऐयर कम कर दिया। ख0न0 1560 के नवीन ट्रेस के पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण रास्ता आम की खडी लाईनो का इन्द्राज अवैध कर दिया है तथा वादी की खातेदारी की भूमि नवीन ख0न0 1560 का 7 ऐयर रकबा रास्ता आम के रूप मे प्रर्दशित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता प्रभू की खातेदारी की भूमि नवीन ख0न0 1566 व 1567 रकबा 66 ऐयर मे मिला दिया। नवीन खसरा न0 1566 व 1567 साबिक ख0न0 1473 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा से बनाया है। ख0न0 1473 की रेवेन्यू शीट मे पश्चिम भाग मे रास्ते की खडी लाईन नही थी। 14 ऐयर रकबा बढा दिया जबकि ख0न0 1473 का रकबा 52 ऐयर के करीब होता है। इस प्रकार वादी का रास्ता पूर्व के मुकाबले कम कर दिया। जो साबिक राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के विपरीत है। वादी के पिता गिर्राज सिह की खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 1483 हाल ख0न0 1560 के किसी भाग मे होकर नही रहा ना ही अब है। अतः साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा के रकबा के बराबर नवीन ख0न0 1560 रकबा 54 ऐयर दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता प्रभू की खातेदारी की आराजी ख0न0 1566 व 1567 मे से 7 ऐयर रकबा कम कर वादी की भूमि ख0न0 1560 मे जोडा जावे तथा साबिक ख0न0 1560 की रेवेन्यू शीट के पूर्वी हिस्सा के रास्ते की खडी लाईन के इन्द्राज उत्तर से दक्षिण डिलिट किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को अपने पिता गिर्राज सिह की भूमि नवीन ख0न0 1560 रकबा 48 ऐयर तथा 7 ऐयर रास्ता के निशान से प्रदर्शित भूमि कुल 54 ऐयर रकबा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट की तामिल दिनांक 24.11.04 को गैर कानूनी तरीके से चस्पादगी की तामिल को मानते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुए दिनांक 21.6.05 को वगैर सुनवाई का समुचित अवसर प्र[illegible] अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपील[illegible] प्रस्तुत किये जा रहे है कि पुश्त चस्पादगी की तामील मे केवल नोटिस चस्पा किया [illegible] दर्ज है कोई दावे की नकल चस्पा नही की गई है। जो सीपीसी की पालना मे सही नही है न ही गवाहान के पूर्ण पते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तामिल किस रोज व किस समय पर किस तारीख को चस्पा की गई कोई उल्लेख नही है। भू प्रबंध आपरेशन के दौरान रेस्पो0/वादीगण द्वारा दावे मे उठाई गई आपत्तियां पूर्ण जानकारी के बाबजूद भी नही उठाई और साजसी तौर पर राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपीलांट को जबाबदेही का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित करवा लिया। इस साजिशी निर्णय के आधार पर रेस्पो/वादीगण हमारी आराजीयात को हडपना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट नही मंगवाई गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पो0 द्वारा इजराय उनवानी गोविन्द सिंह बनाम यादराम मु0न0 19/09 के नोटिस तारीख पेशी दिनांक 17.11.11 के लिए प्राप्त होने पर हुई। आलोच्य निर्णय की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय मे प्राप्त करने पर प्राप्त जानकारी अनुसार नकल प्राप्त कर नकल प्राप्त करने की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है तथा मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 अलग से पत्रावली मे संलग्न है। अतःअधिनस्थ न्यायालय का निर्णय गैर कानूनी एवं विधि के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण तलबी के बाद सुनवाई की जाकर पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ताओ ने बहस मे बताया कि भूमि साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम सुरोठ तहसील हिण्डौन रेस्पो0/वादी के पिता गिर्राज सिह के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि रही है। रेस्पो0/वादी के पिता के फौत होने के पश्चात से उसके कानूनी वारिस तथा काबिज काश्त तन्हा रेस्पो0 है। भूमि साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का नवीन रकबा 54 ऐयर होता है। रेस्पो0/वादी तथा उसके पिता ने खसरा न0 1483 को चारो तरफ से डोल मेड से महदूद कर रखा है। यह खसरा न0 रेवेन्यू शीट मे स्पष्ट साबित है। तहसील हिण्डौन मे भू प्रबंध आपरेशन पुरा होकर नवीन राजस्व रिकार्ड मिलान क्षैत्रफल ,जमाबंदी रेवेन्यू शीट मे फाईनल होकर आ गया था। जिसकी नकल प्राप्त करने पर रेस्पो0/वादी को पता चला कि भू प्रबंध विभाग ने अवैध रूप से क्षैत्राधिकार से परे साबिक राजस्व रिकार्ड मे हेरा फेरी करके साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का नवीन ख0न0 1560 रकबा 0.48 है0 है0 कायम किया है। साबिक रकबा से नवीन रकबा 7 ऐयर कम कर दिया। ख0न0 1560 के नवीन ट्रेस के पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण रास्ता आम की खडी लाईनो का इन्द्राज अवैध कर दिया है तथा रेस्पो0/वादी की खातेदारी की भूमि नवीन ख0न0 1560 का 7 ऐयर रकबा रास्ता आम के रूप मे प्रर्दशित कर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता प्रभू की खातेदारी की भूमि नवीन ख0न0 1566 व 1567 रकबा 66 ऐयर मे मिला दिया। नवीन खसरा न0 1566 व 1567 साबिक ख0न0 1473 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा से बनाया है। ख0न0 1473 की रेवेन्यू शीट मे पश्चिम भाग मे रास्ते की खडी लाईन नही थी। 14 ऐयर रकबा [illegible] किया जबकि ख0न0 1473 का रकबा 52 ऐयर के करीब होता है। इस प्रकार रेस्पो0/वादी का रास[illegible]मुकाबले कम कर दिया। जो साबिक राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के [illegible] सिह की खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 1483 [illegible] ख0न0 1560 के [illegible] भाग मे होकर नही रहा ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ही अब है। अतः साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा के रकबा के बराबर नवीन ख0न0 1560 रकबा 54 ऐयर दर्ज किया जावे तथा अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता प्रभू की खातेदारी की आराजी ख0न0 1566 व 1567 मे से 7 ऐयर रकबा कम कर रेस्पो0/वादी की भूमि ख0न0 1560 मे जोडा जावे तथा साबिक ख0न0 1560 की रेवेन्यू शीट के पूर्वी हिस्सा के रास्ते की खडी लाईन के इन्द्राज उत्तर से दक्षिण डिलिट किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर रेस्पो0/वादी को अपने पिता गिर्राज सिह की भूमि नवीन ख0न0 1560 रकबा 48 ऐयर तथा 7 ऐयर रास्ता के निशान से प्रदर्शित भूमि कुल 54 ऐयर रकबा का रेस्पो0/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी होने पर वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज किया जाकर अपीलांट/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट अनुसार नोटिस दो स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी मे चस्पा करवाने का अंकन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानो की पूर्ण पालना की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात के राजस्व रिकार्ड का भली भॉति अवलोकन कर ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधि के अनुरूप है। अपीलांट द्वारा यह अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.05 के विरूद्व दिनांक 10.2.2012 को प्रस्तुत की गई जो लगभग 6 वर्ष पश्चात की गई है । अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम मे बिलम्ब का कोई उचित कारण उल्लेखित नही होने से खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने खातेदारी के रकबे मे से कम किये गये रकबे को बराबर कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 ग्राम सुरोठ मे ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा रेस्पो0/वादी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षैत्रफल साबिक ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा से भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 1560 रकबा 0.48 है0 कायम किये है। नकल साबिक ट्रेस रेस्पो/वादी के पिता की खातेदारी के खेत ख0न0 1483 के पूर्वी भाग की और अर्थात किसी भी भाग मे रास्ता की लाईन प्रदर्शित नही है जबकि भू प्रबंध विभाग द्वारा इसी ख0न0 से बने नवीन ख0न0 1560 के पूर्वी दिशा मे उत्तर से दक्षिण रेखा प्रदर्शित कर 7 ऐयर भूमि मे रास्ता कायम किया गया है। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट के ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा जो प्रतिवादी/अपीलांट न0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा प्रभू पुत्र मनफूल की खातेदारी मे दर्ज है उसमे 15 ऐयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है। जो भू प्रबंध विभाग के क्षैत्राधिकार मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक एवं हाल जमाबंदी एवं नक्शा शीट के मिलान करने के उपरान्त ही वादी/रेस्पो0 की कम क[illegible] की पूर्ति की जाकर 7 ऐयर भूमि जो रास्ते के रूप मे दर्ज की गई थी [illegible] की गई है।। अपीलांट का कथन रहा कि प्रतिवादीगण [illegible] तामिल चस्पादगी से हुई है। सीपीसी के प्रावधान के अनुसार यदि प्रतिवादी या अन्य परिवार का कोई सदस्य अपने निवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्थान पर मौजूद नही मिलता है तो उसकी चस्पादगी से तामिल दो स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति मे कराई जाना न्यायोचित है। तामिल कुनन्दा द्वारा दो स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी मे चस्पादगी से तामिल कराई गई है। जो विधि अनुरूप है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह अपील लगभग 6 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील बिलम्ब से पेश करने का कोई समुचित कारण अंकित नही किया है ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1483 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जो अपीलांट/ प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा प्रभू पुत्र मनफूल की खातेदारी मे दर्ज है उसमे 15 ऐयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है। जो भू प्रबंध विभाग के क्षैत्राधिकार मे नही आता है। अपीलांट की खातेदारी मे से कोई रकबा कम नही हुआ है। जिससे उसके हक हकूक प्रभावित होते हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने एवं खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0नं0 46/04 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.05 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner